"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण-हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 135—अ] रायपुर,, गुरूवार,, दिनांक 22 मई, 2008 — ज्येष्ठ 1, शक 1930

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग

जी.ई. रोड, सिविल लाईन्स, रायपुर 492001

ध्येय एवं कारण

विद्युत उत्पादन के नवीकरणीय स्त्रोतों के संवर्धन को दृष्टिगत् रखते हुए, विद्युत अधिनियम, 2003 द्वारा, अन्य कृत्यों के साथ, राज्य विद्युत नियामक आयोग को यह कृत्य भी सौंपा गया है कि वह (आयोग) ऐसे स्त्रोतों से वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उनके क्षेत्र में विद्युत क्रय करने हेतु, एक निश्चित प्रतिशतांश विनिर्दिष्ट करेगा। भारत शासन द्वारा दिनांक 06.01.2006 को अधिसूचित टैरिफ नीति यह व्यक्त करती है कि अपारंपरिक स्त्रोतों द्वारा उत्पादित विद्युत का क्रय, वितरण अनुज्ञप्तिधारी, राज्य आयोग द्वारा अवधारित, अधिमान (प्रिफरेंशियल) टैरिफ पर करें, चूंकि अपारंपरिक प्रौद्योगिकी (टेक्नॉलाजी) को उत्पादन की लागत के दृष्टिकोण से पारंपरिक स्त्रोतों से प्रतिस्पर्धा करने योग्य बनने में कुछ समय लग सकता है। राष्ट्रीय विद्युत नीति एवं टैरिफ नीति में अपारंपरिक स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन के संवर्धन के विषय में दिये गए प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए, इस महत्वपूर्ण उद्‌देश्य की प्राप्ति के लिए राज्य आयोग द्वारा विनियमों की रचना करने की आवश्यकता है। इन विनियमों की रचना ऐसे दो अपारंपरिक विद्युत स्त्रोतों, नामतः जैव—अवशिष्ट (बायोमास) तथा लघु जल—विद्युत परियोजनाओं, जिनके द्वारा विद्युत का उत्पादन कर वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को विद्युत प्रदाय करने योग्य परिस्थितियां छत्तीसगढ़ प्रान्त में विद्यमान है; द्वारा उत्पादित विद्युत हेतु टैरिफ की अवधारणा के उद्‌देश्य से की जा रही है। पवन एवं सौर—उर्जा को इन विनियमों में सम्मिलित नहीं किया गया है। चूंकि इन स्त्रोतों से प्रान्त में ऊर्जा प्राप्ति की गुंजाइश अभी पता नही है तथा इन स्त्रोतों से उत्पादित विद्युत के टैरिफ की अवधारणा के निबंधन एवं शर्तें, बायोमास/लघु जल—विद्युत संयंत्रों पर लागू निबंधन एवं शर्तों से भिन्न होंगी। जब पवन—ऊर्जा और सौर—ऊर्जा प्राप्ति के गुंजाईश पता चल जाएगी तब उन्हें इस विनियमों में जोड़ दिया जायेगा। यद्यपि आयोग द्वारा बायोमास आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्रों तथा लघु जल—विद्युत परियोजनाओं के संवर्धन हेतु पृथक सुविस्तृत आदेश पारित किया जा चुका है तथापि ये विनियम, माननीय विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा, अभ्यावेदन (अपील) क्रमांक 20 (वर्ष 2006 की) पर, पारित आदेश दिनांक 07.09.2006 के अनुपालन में जारी किये जा रहे हैं जिसमें वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपारंपरिक उर्जा स्त्रोतों से विद्युत क्रय करने के लिए टैरिफ की अवधारणा हेतु विनियमों की रचना करने का विशिष्ट निर्देश दिया गया है। अतः यह विनियम बनाये जा रहे हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अपारंपरिक उर्जा–स्त्रोतों पर आधारित संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत हेतु उत्पादन टैरिफ की अवधारणा हेतु निबंधन एवं शर्तें तथा संबंधित विषय–वस्तु) विनियम, 2008

रायपुर, दिनांक 22/05/2008

क्रमांक 28/सी.एस.ई.आर.सी./2008–विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 61 सहपठित धारा 181 (जेड डी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए 'छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, लघु जल–विद्युत उत्पादन स्टेशन तथा बायोमास पर आधारित विद्युत उत्पादन स्टेशन द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को विद्युत विक्रय करने हेतु टैरिफ की अवधारणा के निबंधन एवं शर्तें विनिर्दिष्ट करते हुए एतद् द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता हैः–

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा विस्तार

(1) इन विनियमों को **"छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अपारंपरिक उर्जा–स्त्रोतों पर आधारित संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत हेतु उत्पादन टैरिफ की अवधारणा हेतु निबंधन एवं शर्तें तथा संबंधित विषय–वस्तु) विनियम, 2008"** कहा जाएगा।

(2) ये विनियम, छत्तीसगढ़ राजपत्र में, इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

(3) इन विनियमों का विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ प्रान्त में होगा तथा यह "छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल" (छ.रा.वि.मं.) तथा उसके उत्तराधिकारी / उत्तराधिकारियों सहित प्रान्त में स्थित सभी वितरण अनुज्ञप्तिधारियों, लघु जल–विद्युत उत्पादन स्टेशनों एवं बायोमास आधारित विद्युत उत्पादन स्टेशनों पर लागू होगी।

2. परिभाषाएं एवं निर्वचन

(1) इन विनियमों में जब तक संदर्भवश अन्यथा अभिप्रेत न हो :–

(i) **"अधिनियम"** से अभिप्रेत है विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36), समय–समय पर यथा संशोधित।

(ii) **"अनुषांगिक (ऑक्जीलरी) उर्जा खपत"** अथवा "ए.यू.एक्स." किसी कालखण्ड के संबंध में, से अभिप्रेत है विद्युत उत्पादन स्टेशन के अनुषांगिक उपकरणों द्वारा खपत की गई उर्जा की मात्रा तथा उत्पादन स्टेशनों के भीतर ट्रांसफॉर्मर / ट्रांसफॉर्मरों में हुई उर्जा की क्षति जिसे विद्युत उत्पादन स्टेशन की सभी ईकाईयों के विद्युत उत्पादकों (जनरेटर) के टर्मिनल पर उत्पादित सकल उर्जा, संयुक्त (कंबाईंड) अथवा पृथक, के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जायेगा।

(iii) **"क्षमता उपयोगिता गुणांक"** अथवा **"सी.यू.एफ."** एक निश्चित कालखण्ड के लिए, से अभिप्रेत है उक्त कालखंड के संदर्भ में स्थापित क्षमता के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त बाह्य प्रेषित विद्युत जिसकी संगणना निम्नांकित सूत्र द्वारा की जायेगी;

$$\text{सी.यू.एफ} = \frac{\text{संदर्भित कालखंड में सकल उत्पादन}}{\text{स्थापित क्षमता} \times \text{संदर्भित कालखंड के दौरान कुल घंटे (बंद घंटों सहित)}} \times 100$$

(iv) **"सी.ई.आर.सी."** से अभिप्रेत है, केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग।

(v) **"आयोग"** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग।

(vi) **''विभेदन (कट–ऑफ) तिथि''** से अभिप्रेत है, विद्युत उत्पादन स्टेशन के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से एक वर्ष पश्चात की तिथि के पश्चात समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तिथि।

(vii) **''वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि''** अथवा **''सी.ओ.डी.''** से अभिप्रेत है;

(अ) विद्युत उत्पादन ईकाई के संबंध में विद्युत उत्पादक द्वारा हितग्राही को सूचित करके अधिकतम निरंतर दर (एम.सी.आर.) अथवा सफल परीक्षण द्वारा स्थापित क्षमता (आई.सी.) का प्रदर्शन करने के उपरांत घोषित तिथि।

(ब) विद्युत उत्पादन स्टेशन के सम्बन्ध में उपरोक्त कंडिका (अ) के अनुसार, विद्युत उत्पादन स्टेशन की अंतिम ईकाई अथवा खंड (ब्लॉक) की वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि।

(viii) **''वित्तीय वर्ष''** से अभिप्रेत है एक कलेण्डर वर्ष के अप्रैल माह के प्रथम दिवस से प्रारम्भ होकर अगले कलेण्डर वर्ष के मार्च माह के 31वें दिवस को समाप्त होने वाली अवधि।

(ix) **''फर्म पावर''** से, बायोमास आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र के सम्बन्ध में अभिप्रेत है सी.ओ.डी. के पश्चात् किसी निश्चित कालखंड में अनुसूचित (शेड्यूल्ड) ऊर्जा के 70 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक विद्युत प्रदाय करना। हालांकि वार्षिक आधार पर अनुसूचित उर्जा के 100 प्रतिशत से अधिक उर्जा का प्रदाय करना फर्म पावर नहीं माना जायेगा। लघु जल–विद्युत उत्पादन स्टेशन के संबंध में ''फर्म पावर'' से अभिप्रेत है सी.ओ.डी. से और उसके पश्चात प्रदाय की गई विद्युत यदि समूची (एंटायर) उत्पादित विद्युत, वितरण अनुज्ञप्तिधारी (ओं) को प्रदाय की जाये।

(x) **''ग्रास कैलोरिफिक वेल्यू''** अथवा **''जी.सी.वी.''** से बायोमास आधारित विद्युत उत्पादन स्टेशन के संबंध में अभिप्रेत है, एक किलोग्राम ठोस ईंधन के पूर्णतः दहन से उत्पन्न होने वाली, किलो कैलोरी (कि. कैलोरी) में मापी गई, उष्मा की मात्रा।

(xi) **''सकल स्टेशन उष्मा दर''** अथवा **''जी.एस.एच.आर.''** से अभिप्रेत है विद्युत जनरेटर के टर्मिनल पर एक किलोवाट प्रति घंटा विद्युत उर्जा की मात्रा के उत्पादन हेतु आवश्यक उष्मीय उर्जा की किलो कैलोरी में मापी गई मात्रा।

(xii) **''इनफर्म पावर''** से अभिप्रेत है विद्युत उत्पादन स्टेशन / इकाई द्वारा वाणिज्यिक प्रचालन तिथि की घोषणा के पूर्व उत्पादित विद्युत।

(xiii) **''स्थापित क्षमता''** अथवा **''आई.सी.''** से अभिप्रेत है विद्युत उत्पादन स्टेशन की सभी इकाईयों की नाम–पट्टिकाओं पर अंकित क्षमताओं का योग अथवा आयोग द्वारा, समय–समय पर विद्युत उत्पादन स्टेशन की (उत्पादक जनरेटर टर्मिनल पर आंकलित / परीक्षित) अनुमोदित क्षमता।

(xiv) **''अनुज्ञप्तिधारी''** से अभिप्रेत है प्रान्त में प्रचालनरत वितरण अनुज्ञप्तिधारी।

(xv) **''अधिकतम निरंतर रेटिंग''** अथवा **''एम.सी.आर.''** से, बायोमास आधारित विद्युत उत्पादन स्टेशन की इकाई के सम्बन्ध में, अभिप्रेत है नियत पैरामीटरों पर, संयंत्र–निर्माता द्वारा आश्वासित, उत्पादक (जनरेटर) के सिरे पर अधिकतम निरंतर उत्पादन।

(xvi) **''नॉन–फर्म पॉवर''** से अभिप्रेत है बायोमास आधारित संयंत्रों द्वारा संबंधित संयंत्र की सी.ओ.डी. के पश्चात वितरण अनुज्ञप्तिधारी को एक नियत कालखंड में अनुसूचित विद्युत की मात्रा के 70 प्रतिशत से कम मात्रा में प्रदाय की गई विद्युत। विद्युत उत्पादन स्टेशन द्वारा वार्षिक आधार पर विद्युत की अनुसूचित मात्रा के 100 प्रतिशत से अधिक प्रदाय की गई विद्युत की मात्रा को भी नॉन–फर्म पावर माना जायेगा। हालाँकि लघु जल–विद्युत संयंत्र के संबंध में यह शर्त तभी लागू होगी जब संयंत्र, वितरण अनुज्ञप्तिधारी (ओं) के अलावा तृतीय पक्षकार (रों) को भी विद्युत प्रदाय करता है।

(xvii) **"परियोजना/संयंत्र"** से अभिप्रेत है विद्युत उत्पादन स्टेशन ।

(xviii) **"अनुसूचित उत्पादन"** किसी समय पर अथवा किसी कालखंड अथवा समय–अंतराल के लिए, से अभिप्रेत है प्रांतीय भार प्रेषण केन्द्र (एस.एल.डी.सी.) द्वारा प्रदत्त, मेगावाट अथवा मिलियन यूनिटों में अभिव्यक्त, बस पर, उत्पादन की अनुसूचित मात्रा।

(xix) **"लघु जल–विद्युत उत्पादन स्टेशन"** अथवा **"एस.एच.पी."** से अभिप्रेत है, 25 मेगावाट तथा 25 मेगावाट तक के जल–विद्युत उत्पादन स्टेशन।

(xx) **"प्रान्त"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ प्रान्त।

(2) ऐसे शब्द एवं अभिव्यक्तियां जिनका उपयोग इस विनियमावली में किया गया है, किन्तु उन्हें इसमें परिभाषित नहीं किया गया है, का अभिप्राय वही होगा, जो अभिप्राय उनका अधिनियम में अथवा आयोग द्वारा रचित अन्य विनियमावली / विनियमावलियों में है।

3. टैरिफ अवधारणा के सिद्धांत

(1) बायोमास तथा लघु जल–विद्युत, इन दो नवीकरणीय स्त्रोतों से विद्युत का उत्पादन करने वाली कंपनियों से वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत क्रय करने हेतु टैरिफ अवधारित किया जायेगा। हालांकि इस विनियमों की अधिसूचना की तिथि के पूर्व, किसी विद्युत उत्पादन कंपनी एवं छ.रा.वि.मं. अथवा अन्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी के मध्य निष्पादित किसी विद्युत–क्रय अनुबंध (पी.पी.ए.) पर ये विनियम लागू नहीं होंगें। ऐसे संयंत्रों के लिए, आयोग के आदेश दिनांक 15.01.2008 जो कि बायोमास संयंत्रों के प्रकरण में याचिका क्रमांक 07 (2005 की) पर पारित किया गया है, में यह निबंधन किया गया है कि उनका टैरिफ संबंधित पी.पी.ए. में अंकित टैरिफ संबंधी प्रावधानों के अनुसार होगा।

(2) टैरिफ अवधि : आयोग, वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत प्रदाय हेतु अपारंपरिक स्त्रोंतों द्वारा निष्पादित किए गए पी.पी.ए. की अवधि के लिए, जो कि सामान्यतः दस वर्ष अथवा उसके अधिक होगी, टैरिफ अवधारित करेगा।

(3) आयोग प्रत्येक प्रकार के नवीकरणीय उर्जा के स्त्रोत हेतु पृथक टैरिफ अवधारित करेगा। बशर्तें, जब केन्द्रीय शासन द्वारा अधिनियम की धारा 63 के अधीन जारी मार्गदर्शिका के अनुसार बोली लगाने की पारदर्शी प्रक्रिया का पालन करते हुए टैरिफ अवधारित किया जा चुका हो तब आयोग उस टैरिफ को अपनाने की कार्यवाही करेगा।

(4) नवीकरणीय स्त्रातों से उत्पादित विद्युत हेतु टैरिफ आवधारणा के कृत्य का निर्वहन करने में, जहाँ तक संभव हो सकेगा, अधिनियम की धारा 61 एवं 62 में निरूपित सिद्धान्तों एवं पद्धतियों; सी.ई.आर.सी. द्वारा, राष्ट्रीय विद्युत नीति (एन.ई.पी.) तथा भारत शासन द्वारा अधिसूचित टैरिफ नीति; 2006 में विर्निदिष्ट सिद्धान्तों से, आयोग मार्ग–दर्शन लेगा। नवीकरणीय ऊर्जा के स्त्रोतों की विशिष्ट प्रकृति को अनुकूलतः समायोजित करने हेतु, कारण लिखकर, आयोग उपरोक्त से विचलन कर सकेगा।

(5) टैरिफ अवधारणा के कृत्य का निर्वहन करने में, आयोग विशेषतः टैरिफ नीति के पैराग्राफ 6.4 से मार्गदर्शन लेगा, जो निम्नांकित कथन करता हैः–

"अपारंपरिक प्रौद्योगिकी को, उत्पादन लागत के दृष्टिकोण से, पारंपरिक स्त्रोतों से प्रतिस्पर्धा करने योग्य बनने में समय लगेगा। अतः वितरण कंपनियों द्वारा विद्युत का क्रय, समुचित आयोग द्वारा अवधारित अधिमान (प्रिफरेंशियल) टैरिफ पर किया जाये"।

(6) टैरिफ अवधारणा के कृत्य का निर्वहन करने में आयोग जहाँ तक संभव हो, प्रत्येक नवीकरणीय ऊर्जा के स्त्रोत की प्रौद्योगिकी, ईंधन, बाजार–जोखिम, पर्यावरणीय हित तथा समाज के प्रति योगदान हेतु प्रावधान कर सकेगा।

4. टैरिफ अवधारणा हेतु आवेदन

(1) विद्युत उत्पादन कंपनी टैरिफ अवधारणा हेतु, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ अवधारणा के लिए उत्पादन कंपनी और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दिये जाने वाले विवरण एवं आवेदन देने की रीति) विनियम, 2004 (संक्षेप में –टैरिफ विनियम) में दिए गए प्रारूपों (फॉरमेट) में, आवेदन करेगी।

(2) विद्युत उत्पादन स्टेशन की परियोजना का अमल (इंप्लीमेंटेशन) जारी रहने की परिस्थिति में, टैरिफ नियत करने का आवेदन, निम्नलिखित दो चरणों में, दिया जा सकता है:–

(i) विद्युत उत्पादन कंपनी, परियोजना की पूर्णता की अपेक्षित तिथि के पूर्व, अनन्तिम (प्रोविजनल) टैरिफ अवधारणा हेतु, आवेदन की तिथि अथवा उसके पूर्व किसी तिथि तक हुए वास्तविक पूंजीगत व्यय जो विधिवत संपरीक्षित (ऑडिटेड) होकर वैधानिक लेखा–संपरीक्षकों (स्टेच्यूटरी ऑडिटर्स) द्वारा प्रमाणित हों, के आधार पर टैरिफ विनियम के परिशिष्ट I के अनुसार आवेदन कर सकती है। अनन्तिम टैरिफ, विद्युत उत्पादन स्टेशन की संबंधित ईकाई की वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से प्रभारित होगा।

(ii) अंतिम (फाईनल) टैरिफ की अवधारणा हेतु कम्पनी, टैरिफ विनियम के परिशिष्ट I के अनुसार, नूतन (फ्रेश) आवेदन, वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि तक हुए, विधिवत संपरीक्षित तथा वैधानिक लेखा–संपरीक्षकों द्वारा प्रमाणित, वास्तविक पूंजीगत व्यय के आधार पर करेगी।

5. बायोमास आधारित विद्युत उत्पादन स्टेशन हेतु टैरिफ अवधारणा के प्रतिमानक (नॉर्म्स)

5.1 टैरिफ के अवयव (कम्पोनेन्ट्स)

(i) बायोमास आधारित विद्युत उत्पादन स्टेशन द्वारा उत्पादित विद्युत के विक्रय हेतु टैरिफ में दो घटकों (पार्ट्स) का समावेश होगा। नामतः नियत प्रभार तथा ऊर्जा (परिवर्तनीय) प्रभार।

(ii) नियत प्रभार में निम्नलिखित व्यय समाहित होंगे:–

(अ) ऋण पूंजी पर ब्याज।

(ब) मूल्यह्रास तथा मूल्यह्रास पर अग्रिम।

(स) समता–पूंजी पर प्रत्यावर्तन (रिटर्न ऑन इक्विटी)।

(द) प्रचालन एवं संधारण व्यय।

(इ) कार्यकारी पूंजी (वर्किंग केपिटल) पर ब्याज।

(iii) ऊर्जा (परिवर्तनीय) प्रभार में ईधन की लागत समाहित होगी।

5.2 प्रतिमानकीय (नार्मेटिव) मूल्यः

(i) **पूंजी लागतः–** टैरिफ अवधारणा हेतु, आयोग द्वारा आवेदन के समय प्रचलित विभिन्न उत्पादन क्षमताओं के माध्य (औसत) लागत के आधार पर पूंजी लागत का अवधारण किया जायेगा।

(ii) **पूर्ण (नियत) प्रभार की वसूली हेतु क्षमता उपयोगिता गुणाँक (सी. वी. एफ.) का लक्ष्यः–** पूर्ण (नियत) प्रभार की वसूली हेतु, सभी बायोमास आधारित विद्युत उत्पादन स्टेशनों का क्षमता उपयोगिता गुणाँक का लक्ष्य 80 प्रतिशत होगा।

(iii) **ईधन अनुपातः** विद्युत उत्पादन हेतु उपयोग किये जाने वाले बायोमासः कोयला/जीवाश्म (फॉसिल) ईधन का अनुपात 85:15 होगा जैसा कि भारत शासन के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रायल के आदेश दिनांक 20/12/2006 द्वारा अधिसूचित किया गया है, यदि रूपांतरित न हो।

(iv) **सकल स्टेशन ऊष्मा दर (जी.एस.एच.आर.):–** बायोमास आधारित विद्युत उत्पादन स्टेशनों की सकल स्टेशन ऊष्मा दर उत्पादन संयंत्र की वास्तविक पी.जी. (परफॉर्मेन्स गारंटी) परीक्षण प्रतिवेदन अथवा उत्पादन संयंत्र के डिजाइन ऊष्मा दर पर आधारित होगी। प्रचालन की अनिश्चितताओं के निवारण के लिए सकल ऊष्मा दर पर 5% वृद्धि की अनुमति होगी। विभिन्न क्षतियों को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त रीति से व्युत्पन्न (डिराइव्ड) सकल ऊष्मा दर पर 5% वृद्धि की अनुमति होगी।

(v) **ग्रास कैलोरिफिक वैल्यू (जी.सी.वी.)** :– कोयला / जीवाश्म ईंधन सहित ईंधन की माध्य (औसत) जी.सी.वी., ईंधन की गुणवत्ता के अनुरूप होगी।

(vi) **ईधन की लागतः–** बायोमास तथा कोयले की लागत पर आयोग द्वारा प्रचलित बाजार दर के आधार पर विचार किया जायेगा।

(vii) **अनुषांगिक ऊर्जा खपतः** बायोमास आधारित विद्युत उत्पादन स्टेशन हेतु अनुषांगिक उर्जा खपत, टैरिफ अवधारणा के लिए किसी भी आकार की ईकाई के लिए 10% मानी जायेगी।

5.3 ऋणः समता–पूंजी अनुपात (डेब्ट इक्विटी रेशियो)

(i) बायोमास आधारित विद्युत उत्पादन स्टेशन का टैरिफ अवधारण हेतु वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि पर ऋणःसमता–पूंजी अनुपात 70:30 होगा। जहां निवेशित समता–पूंजी 30% से अधिक हो वहां टैरिफ अवधारण हेतु समता–पूंजी की राशि को 30% पर सीमित किया जायेगा तथा शेष राशि को प्रतिमानकीय (नॉर्मेटिव) ऋण माना जायेगा। बशर्ते, उस विद्युत उत्पादन स्टेशन के प्रकरण में जिसमें वास्तविक निवेशित समता–पूंजी 30% से कम है, टैरिफ अवधारण हेतु वास्तविक ऋण तथा समता–पूंजी मान्य होगी।

(ii) उप कंडिका (i) के अनुसार आगणित ऋण एवं समता–पूंजी की राशि के अंकों का उपयोग ऋण पर ब्याज, समता–पूंजी पर प्रत्यावर्तन, मूल्यह्रास पर अग्रिम तथा विदेशी विनियम दर परिवर्तन की संगणना करने के लिए किया जायेगा।

5.4 सावधिक (टर्म) ऋण पर ब्याजः

अ. ऋण–पूंजी पर ब्याज की संगणना, उपरोक्त कंडिका 5.3 में दर्शायी गई रीति से आगणित प्रत्येक ऋण राशि पर की जायेगी।

ब. विद्युत उत्पादन कंपनी ऋण–पूंजी को अदला–बदली (स्वैप) कर सकती है अगर इसके परिणामस्वरूप कंपनी को निवल लाभ हो। विद्युत उत्पादन कंपनी ऋण की अदला–बदली के परिणामस्वरूप हुए निवल लाभ का 50% भाग स्वयं रख सकती है तथा शेष 50% भाग वितरण अनुज्ञप्तिधारी को टैरिफ के माध्यम से पहुँचाया (पास ऑन) जायेगा।

स. ऋण के निबन्धनों एवं शर्तो में परिवर्तन उक्त अदला–बदली की दिनांक से माना जायेगा।

द. किसी प्रकार के विवाद की दशा में कोई भी पक्षकार आयोग से संपर्क (एप्रोच) कर सकता है। हालांकि विवाद के विचार–काल में कोई भी अनुज्ञप्तिधारी, विद्युत उत्पादन कंपनी को देय, कोई भी भुगतान को रोक कर नहीं रखेगा।

ई. विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा पुर्नभुगतान–अवकाश (मोरेटोरियम) अवधि का उपयोग किये जाने की दशा में, उस अवधि हेतु टैरिफ में प्रावधानित मूल्यह्रास को उक्त अवधि में किया गया पुर्नभुगतान माना जायेगा तथा ऋण पर ब्याज की संगणना तद्नुसार की जायेगी।

फ. सावधिक ऋणों पर ब्याज की दर वही होगी, जिस दर पर वास्तव में ऋण लिया गया है, जो कि आयोग द्वारा उचित (प्रुडेंस) जांच के अध्यधीन (सबजेक्ट टू) होगा।

5.5 मूल्यह्रास तथा मूल्यह्रास पर अग्रिमः–

(i) टैरिफ के उद्देश्यों से मूल्यह्रास की संगणना निम्नलिखित रीति से की जायेगी।

(अ) परिसम्पत्तियों की अतीत लागत (हिस्टॉरिकल कॉस्ट), मूल्यह्रास हेतु आधार मूल्य होगी।

(ब) मूल्यह्रास की संगणना वार्षिक आधार पर, सीधी रेखा विधि (स्ट्रेट लाइन मेथड) से परिसम्पत्ति के उपयोगी जीवन–काल तक, सी.ई.आर.सी. द्वारा अधिसूचित दर पर की जायेगी।

(स) परिसम्पत्ति का अवशेष मूल्य 10 प्रतिशत माना जायेगा तथा मूल्यह्रास परिसम्पत्ति की अतीत पूंजी लागत (हिस्टॉरिकल केपिटल कॉस्ट) के 90 प्रतिशत तक मान्य होगा।

(द) मूल्यह्रास प्रथम प्रचालन वर्ष से प्रभारित होगा। परिसम्पत्ति का प्रचालन, वर्ष की आंशिक समयावधि में होने की दशा में मूल्यह्रास आनुपातिक (प्रो–रैटा) आधार पर प्रभारित होगा।

(ii) मान्य मूल्यह्रास के अलावा विद्युत उत्पादन कंपनी को मूल्यह्रास पर अग्रिम (ए.ए.डी.) की पात्रता होगी, जिसकी संगणना निम्नलिखित रीति से होगीः–

ए.ए.डी. = विनियम 5(4) के अनुसार ऋण पुर्नभुगतान की राशि जो कि विनियम 5(3) के अनुसार ऋण राशि के 1/10 भाग तक सीमित होगी में से अनुसूची के अनुसार मूल्यह्रास घटाना।

बशर्ते, मूल्यह्रास पर अग्रिम तभी मान्य होगा जबकि किसी वर्ष विशेष तक संकलित पुर्नभुगतान राशि उस वर्ष तक संकलित मूल्यह्रास से अधिक हो।
पुनः बशर्ते, किसी वर्ष में मूल्यह्रास पर अग्रिम, उस वर्ष तक संकलित पुर्नभुगतान की राशि तथा संकलित मूल्यह्रास की राशि के मध्य अंतर की राशि तक सीमित रहेगा।

5.6 समता–पूंजी पर प्रत्यावर्तन (रिटर्न ऑन इक्विटी)

समता–पूंजी पर प्रत्यावर्तन की संगणना, विनियम 5.3 के अनुसार अवधारित समता–पूंजी आाधार पर की जायेगी, जो कि अधिकतम 16 प्रतिशत प्रति वर्ष होगा। बशर्ते, विदेशी मुद्रा में निवेशित समता–पूंजी पर प्रत्यावर्तन, निर्धारित सीमा तक उसी विदेशी मुद्रा में मान्य होगा तथा इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में, देयक की देय तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर होगा।

स्पष्टीकरण

विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा अंश पूंजी निर्गमित करने पर उगाही गई प्रब्याजी (प्रीमियम) की राशि, मुक्त आरक्षित निधि से निर्मित आंतरिक संसाधनों का परियोजना के वित्त–पोषण में

निवेश, यदि कोई हो तो उन्हें भी समता–पूंजी पर प्रत्यावर्तन की संगणना हेतु प्रदत्त पूंजी सदृश्य आंका जायेगा। बशर्ते ऐसी प्रब्याजी की राशि तथा आंतरिक संसाधनों का उपयोग, विद्युत उत्पादन स्टेशन के पूंजीगत व्ययों में किया गया हो।

5.7 संचालन एवं संधारण (ओ. एण्ड एम.) व्ययः–

सभी प्रकार की क्षमताओं वाले संयंत्रों के लिए प्रतिमानकीय (नार्मेटिव) प्रचालन एवं संधारण व्यय में मरम्मत एवं रख–रखाव व्यय, कार्मिक लागत, प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय तथा बीमा व्यय शामिल होंगे।

5.8 कार्यकारी पूंजी (वर्किंग केपिटल) पर ब्याजः–

कार्यकारी पूंजी पर ब्याज दर वह होगी, जिस दर पर वास्तव में कार्यकारी पूंजी हेतु ऋण लिया गया है तथा वह दर, जिस वर्ष टैरिफ का अवधारण करना हो उस आधार–वर्ष की 1 अप्रैल को भारतीय स्टेट बैंक की शार्ट–टर्म प्राईम लेंडिंग रेट (पी.एल.आर.) के ऊपर 2 प्रतिशत तक, सीमित होगी।

ब्याज की गणना हेतु कार्यकारी पूंजी में निम्नलिखित का समावेश होगा :

(i) ईंधन (कोयला तथा बायोमास) की लागत – तीन माह के लिए

(ii) संचालन एवं संधारण व्यय – एक माह के लिए

(iii) प्राप्य (रिसीवेबल) राशि – डेढ़ माह के स्थिर (फिक्सड) एवं परिवर्तनीय (वेरिएबल) प्रभारों के समतुल्य जो कि संयंत्र भार गुणांक (प्लांट लोड फैक्टर) के नियत लक्ष्य के आधार पर आंकलित हो।

5.9 **ऊर्जा (परिवर्तनीय) प्रभार** : ऊर्जा (परिवर्तनीय) प्रभार में ईंधन की लागत का समावेश होगा, जो कि विद्युत उत्पादन स्टेशन से बस पर प्रदत्त बाहय प्रेषित ऊर्जा के आधार पर आंकलित की जायेगी।

5.10 **इनफर्म पावर की दर** : वाणिज्यिक प्रचालन तिथि की घोषणा के पूर्व अनुज्ञप्तिधारी को प्रदाय की गई विद्युत की दर, ऊर्जा (परिवर्तनीय) प्रभार के बराबर होगी।

5.11 **नॉन–फर्म पावर की दर** : नॉन–फर्म पावर की दर, ऊर्जा (वैरिएबल) प्रभार तथा 30 पैसे प्रति ईकाई के योग के बराबर होगी।

6. लघु जल–विद्युत उत्पादन स्टेशन के टैरिफ अवधारण हेतु प्रतिमानकः–

6.1 **टैरिफ के अवयव** : लघु जल–विद्युत संयंत्र के टैरिफ में कोई परिवर्तनीय लागत अवयव (कम्पोनेंट) नहीं होगा। अतः लघु जल–विद्युत उत्पादन स्टेशन से विद्युत के विक्रय हेतु टैरिफ में केवल नियत (फिक्स्ड) लागत होगी, अर्थात –

(i) ऋण पूंजी पर ब्याज

(ii) मूल्यह्रास तथा मूल्यह्रास पर अग्रिम

(iii) समता–पूंजी पर प्रत्यावर्तन (रिटर्न ऑन इक्विटी)

(iv) संचालन एवं संधारण व्यय; एवं

(v) कार्यकारी पूंजी पर ब्याज

6.2 प्रतिमानकीय (नार्मेटिव) मूल्यः—

(i) अनुषांगिक उर्जा खपतः

अंतिम (फाईनल) टैरिफ अवधारण हेतु वास्तविक अनुषांगिक खपत एवं ट्रांसफार्मर क्षति साथ—साथ हिसाब में ली जायेंगी जो कि परीक्षण प्रतिवेदन (टेस्ट रिपोर्ट) पर आधारित होंगी और 2 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अध्यधीन (सबजेक्ट टू) होंगी। अनन्तिम (प्रोविजनल) टैरिफ के अवधारण हेतु अनुषांगिक खपत तथा ट्रांसफार्मेशन क्षति संयुक्त रूप से 2 प्रतिशत माना जायेगा। ट्रांसफार्मेशन क्षति में केवल परियोजना के भीतरी क्षेत्र में स्थापित जनरेटर—ट्रांसफार्मर/ट्रांसफार्मरों में हुई विद्युत की क्षति को ही लिया जायेगा।

(ii) क्षमता उपयोगिता गुणाँक (सी.यू.एफ) का लक्ष्य टैरिफ अवधारण हेतु 40 प्रतिशत अथवा जैसा विद्युत उत्पादन स्टेशन द्वारा दावा किया गया हो, दोनों में से जो अधिक हो, होगा।

6.3 परियोजना की पूंजी लागतः अंतिम (फाईनल) टैरिफ का अवधारण परियोजना पूर्ण होने तक हुए सम्पूर्ण व्यय जोकि आयोग द्वारा विवेकपूर्ण (प्रूडेंस) जाँच के अध्यधीन है, के आधार पर किया जायेगा। अंतिम टैरिफ का अवधारण, विद्युत उत्पादन स्टेशन की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि तक हुए वास्तविक व्यय में से स्वीकृत पूंजीगत व्यय जिसमें अतिरिक्त (स्पेयर) कल—पुर्जे सम्मिलित किये जायेंगे जोकि मूल स्वीकृत परियोजना लागत के 1.5% तक सीमित प्रतिमान के अध्ययधीन होंगे। टैरिफ अवधारण हेतु परियोजना लागत प्राक्कलन (इस्टीमेट) की आयोग द्वारा संवीक्षा (स्क्रूटिनी), पूंजी लागत का औचित्य, वित्त—पोषण योजना, निर्माणाधीन अवधि का ब्याज, दक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग तथा अन्य ऐसी विषय—वस्तु जैसा आयोग विनिश्चित करे, तक सीमित हो सकेगी।

(2) **अतिरिक्त पूंजीकरणः** निम्नलिखित पूंजीगत व्यय जो कि वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से विभेदन तिथि (कट ऑफ डेट) तक मूल कार्य की परिधि में वास्तव में व्यय किये गए हों, आयोग द्वारा विवेकपूर्ण जाँच के अध्यधीन स्वीकृत किये जा सकेंगे।

(i) आस्थागित (डेफर्ड) दायित्व।

(ii) वे कार्य जिनका कार्यान्वयन आस्थागित किया गया हो।

(iii) प्रारंभिक पूंजीगत अतिरिक्त कल—पुर्जे जोकि कार्य की मूल परिधि में हों, विनियम 10 (1) में विनिर्दिष्ट सीमा के अध्यधीन।

(iv) माध्यस्थम पंचाट (अवार्ड) के निर्वहन, न्यायालय के आदेश अथवा डिक्री के अनुपालन का दायित्व।

(v) विधि (लॉ) में संशोधनवश।

बशर्ते, अंतिम टैरिफ हेतु आवेदन—पत्र के साथ मूल कार्य की परिधि तथा व्यय का प्राक्कलन प्रस्तुत किया जाये।

पुनः बशर्ते, विद्युत उत्पादन स्टेशन की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के पश्चात अंतिम टैरिफ हेतु आवेदन—पत्र के साथ आस्थागित दायित्व तथा कार्यान्वयन हेतु आस्थागित कार्यों की सूची प्रस्तुत की जाये।

पूंजी लागत अधिकतम रू. 5.00 करोड़ प्रति मेगावाट की सीमा तक मान्य होगा। इसमें विद्युत की निकासी (इवेकुएशन) हेतु पारेषण लाईनों के डाले जाने की लागत भी सम्मिलित की जा सकेगी। प्रान्त की स्थल—रूपरेखा (टोपोग्राफी) तथा अनेक लघु जल—विद्युत परियोजनाओं के दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित होने की संभावना के दृष्टिकोण से जिनमें काफी लम्बी पारेषण लाईन जैसे

10 कि.मी. तक की आवश्यकता हो तथा भौगोलिक विस्मयों (सरप्राइजेस) जिनका पूर्वनुमान नहीं लगाया जा सका हो एवं परियोजना के कार्यान्वयन के समय ही उनके बारे में ज्ञात हुआ हो, ऐसे मामलों में परियोजना लागत की अधिकतम सीमा रू. 5.5 करोड़ प्रति मेगावाट तक हो सकेगी। यह, नियम न होकर मात्र अपवाद होगा। अनन्तिम टैरिफ की अवधारणा हेतु पूंजी लागत रू. 4.75 करोड़ प्रति मेगावाट होगी।

6.4 **ऋण : समता–पूंजी अनुपात** : ऋणः समता–पूंजी अनुपात कंडिका 5.3 के अनुसार होगा।

6.5 **सावधिक (टर्म) ऋण पर ब्याज** : सावधिक ऋण पर ब्याज कंडिका 5.4 के अनुसार होगा।

6.6 मूल्यह्रास तथा मूल्यह्रास पर अग्रिम का आंकलन उपर्युक्त कंडिका 5.4 के अनुसार किया जायेगा।

6.7 **समता–पूंजी पर प्रत्यावर्तन** : उपर्युक्त कंडिका 5.6 के अनुसार समता–पूंजी पर प्रत्यावर्तन अधिकतम 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष हो सकेगा।

6.8 **संचालन एवं संधारण व्यय** : सभी आकार की विद्युत उत्पादन ईकाईयों हेतु प्रतिमानकीय (नार्मेटिव) प्रचालन एवं संधारण व्यय, परियोजना लागत का 2.5 प्रतिशत होगा, जिस पर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से उच्चावचन (एस्केलेशन) मान्य किया जा सकेगा।

मूल प्रचालन एवं संधारण व्ययों में मरम्मत एवं रख–रखाव व्यय, कार्मिक लागत, प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय तथा बीमा व्यय सम्मिलित होंगे।

6.9 **कार्यकारी पूंजी पर ब्याज**

कार्यकारी पूंजी पर ब्याज दर वह होगी, जिस दर पर वास्तव में कार्यकारी पूंजी हेतु ऋण लिया गया है तथा वह दर, जिस वर्ष टैरिफ का अवधारण करना हो उस आधार–वर्ष की 1 अप्रैल को भारतीय स्टेट बैंक की प्राईम लेंडिंग रेट (पी.एल.आर.) के उपर 2 प्रतिशत तक सीमित होगी।

ब्याज की गणना हेतु कार्यकारी पूंजी में निम्नांकित का समावेश होगा:–

(i) संचालन एवं संधारण व्यय	–	एक माह के लिए
(ii) संधारण हेतु अतिरिक्त कल–पुर्जे	–	परियोजना की पूंजी लागत के 1% की दर से जिसमें वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 6% प्रति वर्ष की दर से उच्चावचन (एस्केलेशन) किया जा सकेगा।
(iii) प्राप्य (रिसीवेबल) राशि	–	2 माह के स्थिर (फिक्स्ड) प्रभार के समतुल्य जो कि संयंत्र भार गुणांक (प्लांट लोड फैक्टर) के नियत लक्ष्य के आधार पर आंकलित हो।

6.10 **इनफर्म पावर हेतु टैरिफ** : वाणिज्यिक प्रचालन तिथि की घोषणा के पूर्व लघु जल–विद्युत संयंत्र द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को प्रदाय की गई विद्युत का टैरिफ, फर्म पावर के टैरिफ के 50% के बराबर होगा।

6.11 **नॉन–फर्म पावर हेतु टैरिफ** : लघु जल–विद्युत संयंत्र द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को प्रदाय की गई नॉन–फर्म पावर का टैरिफ इनफर्म पावर के टैरिफ के बराबर होगा।

6.12 **जल पर रॉयल्टी (शुल्क)** : लघु जल–विद्युत स्टेशनों द्वारा छत्तीसगढ़ शासन को भुगतान की गई रॉयल्टी, टैरिफ पर प्रभारित होगी।

7. **मुक्त उपयोग (ओपन एक्सेस) प्रभार**

(i) **पारेषण / चक्रण (व्हीलिंग) प्रभार** : नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों द्वारा पारेषण तथा / अथवा वितरण हेतु ओपन एक्सेस के उपयोग हेतु देय पारेषण एवं चक्रण प्रभार, प्रणाली के भीतर प्रवाहित ऊर्जा का 6% होगा। इस प्रभार के अलावा अन्य कोई पारेषण अथवा चक्रण प्रभार नगद अथवा अनगद (काईण्ड) के रूप में देय नहीं होंगे। हालांकि, स्वयं के उपयोग से अन्यथा ऊर्जा के चक्रण हेतु अधिभार (सरचार्ज) देय होगा।

(ii) **पारस्परिक–छूट (क्रास–सब्सिडी) अधिभार** : क्रॉस–सब्सिडी अधिभार, ओपन एक्सेस ग्राहकों द्वारा देय जैसा आयोग द्वारा समय–समय पर नियत किया गया हो के 50% के बराबर होगा।

8. **नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एम.एन.आर.इ.) द्वारा अनुदान (सब्सिडी)**: बायोमास आधारित संयंत्रों तथा लघु जल–विद्युत संयंत्रों को यदि केन्द्रीय शासन से कोई अनुदान प्राप्त हो, तो उसे टैरिफ के अवधारण के हिसाब में नही लिया जायेगा।

9. **स्वच्छ विकास तन्त्र (सी.डी.एम.) हेतु प्राप्त लाभ** : बायोमास आधारित संयंत्रों तथा लघु जल–विद्युत संयंत्रों के सी.डी.एम. हेतु यदि कोई लाभ प्राप्त हो, तो इसे वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से पांच वर्ष की अवधि तक टैरिफ अवधारणा के हिसाब में नहीं लिया जायेगा।

10. **विद्युत क्रय अनुबंध (पी.पी.ए.) की अवधि** : बायोमास संयंत्रों तथा लघु जल–विद्युत संयंत्रों द्वारा निष्पादित, विद्युत–क्रय अनुबंधों की अवधि, स्टेशन के वाणिज्यिक प्रचालन की घोषणा की तिथि से 20 वर्ष की होगी। पी.पी.ए. के नवीनीकरण (रिन्यूवल) की स्थिति में उसे आयोग द्वारा विनिश्चित टैरिफ के निबंधनों एवं शर्तों के आधार पर यथोचित अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकेगा तथा निष्पादन के पूर्व पी.पी.ए. का प्रारूप अनुमोदनार्थ आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

11. **विद्युत का अनुसूचीकरण (शेड्यूलिंग ऑफ पावर) :–**

(i) **बायोमास आधारित संयंत्र** : बायोमास आधारित संयंत्रों द्वारा वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से तथा उसके पश्चात प्रदाय की जाने वाली विद्युत का अनुसूचीकरण (शेड्यूलिंग) मासिक आधार पर किया जाना आवश्यक है। उनके द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विक्रय हेतु प्रस्तावित विद्युत की अनुसूची मासिक आधार पर अग्रिम रूप से 15 दिवस पूर्व दी जायेगी।

(ii) **लघु जल–विद्युत संयंत्र** : लघु जल–विद्युत संयंत्र, उनके उत्पादन की प्रकृति के कारण, विद्युत के अनुसूचीकरण (शेड्यूलिंग) से विमुक्त (एक्जेम्प्ट) है। यह विमुक्ति तभी लागू होगी जब उत्पादित विद्युत की संपूर्ण (एंटायर) मात्रा अनुज्ञप्तिधारी को ही विक्रय की जाये। यदि लघु जल–विद्युत संयंत्र अनुज्ञप्तिधारी के अलावा अन्य किसी तृतीय पक्षकार अथवा कैप्टिव उपयोगकर्ता को भी विद्युत प्रदाय करता है, तो वह अनुज्ञप्तिधारी को प्रदाय की जाने वाली विद्युत की मासिक अनुसूची प्रेषित करेगा। उर्जा का लेखा (एकाउन्टिंग) मासिक आधार पर किया जायेगा। यदि किसी माह में भार गुणांक (लोड फैक्टर) अनुसूचित ऊर्जा के 70 प्रतिशत से कम हो, तो उसे नॉन–फर्म पावर माना जायेगा, तथा लघु जल–विद्युत संयंत्र द्वारा वार्षिक आधार पर अनुसूचित ऊर्जा के 100 प्रतिशत से अधिक ऊर्जा का प्रदाय करने पर उसे भी नॉन–फर्म पावर माना जायेगा।

12. **इनफर्म पावर का विक्रयः** विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा इनफर्म पावर के विक्रय से प्राप्त आय को पूंजी लागत में से घटा दिया जायेगा तथा उसे आयगत प्राप्ति नहीं माना जायेगा।

13. **बैंकिंगः**

13.1 **विद्युत उत्पादकों को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन विद्युत की बैंकिग की अनुमति होगीः—**

(i) जिन संयंत्रों द्वारा छ.रा.वि.मं./अनुज्ञप्तिधारी के साथ अपने द्वारा उत्पादित संपूर्ण ऊर्जा की मात्रा के विक्रय हेतु अनुबन्ध निष्पादित नहीं किया गया हो, उन्हें बैकिंग की सुविधा की पात्रता होगी।

(ii) विद्युत उत्पादक द्वारा अपने सिरे पर तथा जिस स्थान पर अनुज्ञप्तिधारी बैंकिंग हेतु विद्युत प्राप्त करता है वहां ए.बी.टी. मीटर स्थापित करने होंगे।

(iii) बैंकिंग अवधि तीन माह तक सीमित होगी।

(iv) विद्युत उत्पादक बैंकिंग में रखी ऊर्जा के 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से बैंकिंग प्रभार का भुगतान करेगा। बैकिंग प्रभार ऊर्जा के रूप में देय होगा जो कि बैंकिग की गई ऊर्जा के विमुक्तिकरण पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा समायोजित किया जायेगा। यह प्रभार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऊर्जा—लेखा के संधारण के व्यय की एवज में लिया जायेगा।

13.2 **बैंकिग की गई ऊर्जा के जमा तथा निकासी के समय से संबंधित टैरिफ निम्नानुसार होगाः—**

(i) जब जमा तथा निकासी दोनों या तो पीक अवर्स (व्यस्ततम काल) में अथवा नॉन—पीक अवर्स में हों, तो टैरिफ में कोई परिवर्तन नहीं होगा।,

(ii) यदि जमा का समय पीक—अवर्स तथा निकासी का समय नॉन—पीक अवर्स हो, तो टैरिफ में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(iii) यदि जमा का समय नॉन—पीक अवर्स हो तथा निकासी का समय पीक अवर्स हो, तो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रान्त के बाहर के स्त्रोतों से (केन्द्रीय विद्युत के सिवाय) क्रय की गई विद्युत के वार्षिक औसत मूल्य तथा विद्युत उत्पादक के विक्रय मूल्य के मध्य अन्तर की राशि का भुगतान विद्युत उत्पादक करेगा।

14. **कठिनाईयाँ दूर करने की शक्तिः** यदि इस विनियमावली को प्रवृत्त करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो, तो आयोग स्वप्रेरणा से अथवा अन्यथा भी आदेश जारी करके तथा जो उस आदेश से प्रभावित हो सकते हों उन्हें पर्याप्त उचित सुनवाई का अवसर प्रदान करके इस विनियमों से सुसंगत ऐसे प्रावधान कर सकेगा जो कठिनाई को दूर करने के लिए आयोग द्वारा आवश्यक समझे जायें।

15. **पुर्नविलोकन तथा संशोधन की शक्तिः** आयोग इस विनियमों का पुर्नविलोकन इसकी अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के पश्चात कर सकेगा। आयोग समय—समय पर, निर्धारित प्रक्रिया को अपनाकर इस विनियमों के प्रावधानों में जोड़ना, अन्तर, रद्दोबदल, रूपांतरण, संशोधन कर सकेगा।

16. **व्यावृत्तियाँः—**

(i) इन विनियमों की कोई भी विषय—वस्तु, ऐसे आदेश पारित करने जो न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हेतु अथवा आयोग की प्रक्रिया के दुरूपयोग को रोकने हेतु आवश्यक माने जायें, की आयोग की मूलनिहित शक्ति को सीमित करती हुई अथवा अन्यथा प्रवाभित करती हुई नहीं मानी जायेगी।

(ii) इन विनियमों की कोई भी विषय–वस्तु अधिनियम से पुष्ट कोई प्रक्रिया जो इस विनियमों के प्रावधानों से भिन्नता रखती हो को आयोग द्वारा अपनाये जाने को प्रतिबंधित नही करेगी यदि आयोग किसी मामले अथवा मामलों के वर्ग की परिस्थिति विशेष के दृष्टिकोण से तथा यथोचित कारण का लेख करते हुए ऐसा करना आवश्यक अथवा समयानुकूल माने।

(iii) इन विनियमों की कोई भी विषय–वस्तु, व्यक्त अथवा गर्भित रूप से, आयोग द्वारा किसी मामले में अधिनियम के अधीन संव्यवहार करने अथवा किसी शक्ति का अनुप्रयोग करने, जिनके लिए किसी विनियम की रचना न की गई हो, आयोग को प्रतिबंधित नहीं करेगी तथा आयोग ऐसे मामलों, शक्तियों तथा कृत्यों से उस रीति से संव्यवहार करेगा जैसा वह (आयोग) ठीक समझे।

टीपः–

इस विनियम के हिन्दी संस्करण के प्रावधानों तथा अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) के प्रावधानों के मध्य निर्वचन अथवा अर्थान्वयन में कोई अन्तर होने पर पश्चातवर्ती लागू होगा तथा इस संबंध में किसी विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम तथा बंधनकारी होगा। .

आयोग के आदेशानुसार

(एन.के. रूपवानी)
सचिव